अध्याय 01

संगठन और अवसंरचना

1.1 प्रभारी मंत्री

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का नेतृत्व केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन के हाथ में है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे द्वारा उन्हें सहायता प्रदान की जाती है।

डॉ. हर्ष वर्धन
माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री

श्री अश्विनी कुमार चौबे
माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री

वर्ष 2018–19 के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का नेतृत्व केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा के हाथ में था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्रियों श्री अश्विनी कुमार चौबे और श्रीमती अनुप्रिया पटेल द्वारा उन्हें सहायता प्रदान की जाती थी।

1.2 परिचय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में निम्नवत् दो विभाग शामिल हैं जिनकी अध्यक्षता सचिव, भारत सरकार द्वारा की जाती है:

(क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

(ख) स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

1.3 प्रशासन

मंत्रालय ने अपने सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार की वचनबद्धता के रूप में सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों को सक्षम और समयबद्ध रूप से कार्यान्वित करने हेतु नई पहलें की हैं और कदम उठाए हैं।

प्रशासन प्रभाग इस विभाग के कार्मिक प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के स्टाफ की सेवा संबंधी शिकायतें भी निपटाता है।

विभाग में 'आधार' आधारित बायोमैट्रिक प्रणाली शुरू की गई है। ई–ऑफिस परियोजना को भी चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है। सभी भुगतानों को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) में एकीकृत किया जा चुका है।

इस मंत्रालय ने फाइलों के तीव्र निपटान के लिए सितंबर, 2018 माह से "आफिस ऑफ द मंथ" नामक प्रोत्साहनात्मक स्कीम प्रारंभ की है। इस पुरस्कार स्कीम के प्रारंभ होने के पश्चात, अधिकारी फाइल के निपटान में बहुत कम समय ले रहे हैं।

1.3.1 सामान्य प्रशासन

मंत्रालय में माल और सेवाओं का प्रापण करने में सरकारी ई–मार्केट प्लेस (जीईएम) को शामिल किया गया है।

मंत्रालय ने सामान्य उपभोग के सामान और सेवाओं के प्रापण के लिए सरकारी ई–मार्केट प्लेस (जीईएम) का प्रयोग करना जनवरी, 2017 से शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सामान्य प्रशासन द्वारा वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान 8,74,10,342/– रुपए मूल्य का प्रापण किया गया। मंत्रालय के सामान्य प्रशासन ने विभिन्न अनुरक्षण सेवाओं के लिए केंद्रीय सार्वजनिक प्रापण पोर्टल पर ऑनलाइन ई–निविदा को भी अपनाया है जिससे प्रक्रियाओं में दक्षता और पारदर्शिता आई है और कागज का प्रयोग भी कम हुआ है।

1.4 केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा (सीएचएस)

वर्ष 1963 में गठित केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा को वर्ष 1982 में पुनर्गठित किया गया था ताकि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस), केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, श्रम मंत्रालय, डाक विभाग, आदि जैसी सहभागी इकाइयों को चिकित्सीय कार्मिक शक्ति प्रदान की जा सके। अपने गठन से ही ईएसआईसी, एनडीएमसी, एमसीडी, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा आदि जैसी अनेक सहभागी इकाइयों ने अपने खुद के संवर्ग गठित किए हैं। जिपमेर, पुदुच्चेरी, जो 14 जुलाई, 2008 से एक स्वायत्तशासी निकाय बन गया है, सीएचएस संवर्ग से बाहर हो गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, जिसने अध्यापनेतर के लिए दिल्ली स्वास्थ्य सेवा और जीडीएमओ डाक्टर नामक अपना खुद का संवर्ग बना लिया है, भी सीएचएस संवर्ग से बाहर हो गई है। इसके अलावा सीजीएचएस जैसी इकाइयों का भी विस्तार हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा में अब चार उप–संवर्ग हैं तथा प्रत्येक उप–संवर्ग की मौजूदा पद संख्या निम्नलिखित हैः–

i. सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उप–संवर्ग – 2249

ii. शिक्षण विषेशज्ञ उप–संवर्ग – 1502

iii. गैर–शिक्षण विषेशज्ञ उप–संवर्ग – 595

iv. जन स्वास्थ्य विषेशज्ञ उप–संवर्ग – 104

1.4.1 सीएचएस में भर्ती

संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा (सीएमएसई)–2017 के आधार पर यूपीएससी से 717 अभ्यर्थियों के डोजियर मिले हैं। इन 717 अभ्यर्थियों को रैंक, प्राथमिकता और रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर विभिन्न संवर्ग आबंटित किए गए हैं अर्थात् रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, एमसीडी, एनडीएमसी और केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा आदि। कुल 216 अभ्यर्थियों को सीएचएस आबंटित किया गया है जिनमें से 202 अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रस्ताव जारी किए गए हैं जिसमें सीएमएसई के पुनः जारी विगत वर्षों के नियुक्ति प्रस्ताव भी शामिल हैं। गैर–शिक्षण उप–संवर्ग में विशेषज्ञ ग्रेड–III के 51 पदों और डेंटल सर्जनों के 02 पदों के लिए नियुक्ति प्रस्ताव जारी किए गए थे।

फाउंडेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम

सीएचएस अधिकारियों के लिए तीसरा फाउंडेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम एनआईएचएफडब्ल्यू, नई दिल्ली में 27 अगस्त, 2018 से 6 अक्तूबर, 2018 के बीच आयोजित किया गया और यह सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ।

1.4.2 संवर्ग समीक्षा

वर्ष 1963 में गठित किए गए केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा (सीएचएस) को तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के मद्देनजर और अन्य प्रशासनिक विचारार्थ 1982 में पुनः गठित किया गया था। वर्ष 1991 में इस संवर्ग को टिक्कू समिति की सिफारिशों के मद्देनजर पुनः गठित किया गया। तत्पश्चात वर्ष 2004–05 में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सेवा निवृत्त उप सचिव श्री एस हरिहरण की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर संवर्ग की आंशिक समीक्षा की गई थी ताकि अधिकारियों की प्रोन्नति विशेषकर वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एसएजी) और उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड (एचएजी) में प्रोन्नति के गतिरोध को कम किया जा सके। विभिन्न समितियों की कुछ सिफारिशों को लागू किया गया था।

मंत्रालय ने अपर सचिव (स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में 20 मार्च 2015 को संवर्ग समीक्षा समिति का गठन किया है। संवर्गों के एकीकरण को छोड़कर सभी सिफारिशों को सरकार द्व ारा स्वीकार कर लिया गया है और तदनुसार प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात सीओएस हेतु टिप्पण संवर्ग समीक्षा प्रभाग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को अग्रेषित किया गया है। इसके बाद, सीआरडी द्वारा कुछ जानकारी मांगी गई थी, इसे भी उनके पास अग्रेषित कर दिया गया है। फिलहाल यह मामला सीआरडी के पास लंबित है।

डॉक्टरों को प्रशासनिक पदों से गैर प्रशासनिक पदों पर भेजनाः

सीएचएस चिकित्सकों को प्रशासनिक पदों से गैर प्रशासनिक पदों पर तैनात करने के लिए मंत्रालय के दिनांक 13.08.2018 के का.ज्ञा. के द्वारा आवश्यक अनुदेश जारी किए गए हैं। उक्त अनुदेशों के अनुसार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सकों और दंत चिकित्सकों सहित केंद्र सरकार के निकायों के चिकित्सकों की सेवा निवृत्ति की आयु शिक्षण/क्लीनिक/रोगी देखभाल आदि में तैनाती का विकल्प दिए जाने तक

62 वर्ष होगी यदि वे 65 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहने के इच्छुक हों। आज की तारीख तक 77 सीजीएचएस चिकित्सकों को प्रशासनिक पदों से गैर–प्रशासनिक पदों के अंतर्गत लाया गया है।

1.4.3 दंत चिकित्सक पद भर्ती नियम, 1997 में संशोधन

दंत चिकित्सक पद भर्ती नियम, 1997 में संशोधन पर कार्यवाही शुरू कर दी गई है। वर्तमान में संशोधित भर्ती नियमों के मुद्रण हेतु भारत सरकार मुद्रणालय को भेजा जा रहा है।

1.4.4 पदोन्नतियां:

समीक्षाधीन अवधि के दौरान केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के विभिन्न उप–संवर्गों में निम्नलिखित पदोन्नतियां की गई हैं:

उप-संवर्ग	पदनाम	संख्या
जीडीएमओ	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी से मुख्य चिकित्सा अधिकारी में	33
	मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एनएफएसजी) में	7
	मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एनएफएसजी) से वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में	70
अध्यापन	सहायक प्रोफेसर से एसोशिएट प्रोफेसर में	73
	एसोशिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर में	40
गैर–अध्यापन	एसएजी स्तर के अधिकारियों की अपर डीजीएचएस (एचएजी) स्तर के पद पर पदोन्नति	10
दंत चिकित्सक	दंत चिकित्सकों की विभिन्न ग्रेडों में पदोन्नति	8

1.4.5 गैर–कार्यात्मक उन्नयन

95 सीएचएस चिकित्सकों (72 जीडीएमओ और 23 अध्यापन उपसंवर्ग) को एसएजी स्तर पर और जीडीएमओ उप–संवर्ग के 162 सीएचएस चिकित्सकों को एचएजी स्तर पर गैर–कार्यात्मक उन्नयन प्रदान किया गया है।

1.4.6 सीएचएस में नियुक्तियों और सेवा में स्थायीकरण की अधिसूचनाएं

सीएचएस में नियुक्ति की 101 अधिसूचनाएं जारी की गई।

102 सीएचएस अधिकारियों को सेवा में स्थायी किया गया।

1.4.7 प्रतिनियुक्ति

प्रतिनियुक्ति आधार पर 65 पदों को भरने के लिए रिक्ति परिपत्र सभी अग्रणी समाचार पत्रों और रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया है।

1.4.8 सीएचएस संवर्ग में पदों को शामिल करना/शामिल नहीं करना

सीएचएस संवर्ग में 120 नए पदों को संवर्ग में शामिल किया गया है। किसी पद को संवर्ग से बाहर नहीं किया गया है।

1.4.9 सूचना का अधिकार

सीएचएस प्रभाग में प्राप्त हुए आरटीआई आवेदनों की संख्या 280 से अधिक है और सभी आवेदनों को निर्धारित समयावधि के भीतर निपटा लिया गया है।

1.4.10 न्यायालयी मामले

01.01.2018 से 31.03.2019 तक की अवधि के दौरान केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) की पीठों/उच्च न्यायालयों/उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन 41 न्यायालयी मुकदमों को निपटाया गया।

1.4.11 केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अधिकारियों के एसीआर/एपीएआर उन्नयन से संबंधित अभ्यावेदन पर विचार करना:

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा. सं. 21011/1/2005–स्था.(ए) (भाग II) दिनांक 14.05.2009 और का. ज्ञा.सं. 21011/1/2010–स्था.(ए) दिनांक 13.04.2010 के तहत जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी के विचारार्थ 105 अभ्यावेदनों पर कार्यवाही की गई है और इनमें से 75 को निपटा लिया गया है।

1.4.12 विविध मुद्दे

i. 09 गैर–शिक्षण विशेषज्ञों को संसद भवन सौंध (पीएचए) में तैनात किया गया।

ii. 64 सीएचएस चिकित्सकों को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सेवा देने के लिए क्रमानुक्रम (रोटेशनल)

आधार पर तैनात किया गया।

iii. 03 अनुशासनात्मक मामलों को निपटाया गया।

iv. जीडीएमओ उप–संवर्ग के 12 अधिकारियों को उच्च अध्ययन जारी रखने के लिए अध्ययन–अवकाश प्रदान किया गया है।

v. पशु चिकित्सा अधिकारियों के लिए डीएसीपी लागू करने के संबंध में पशु पालन, डेयरी और मत्स्य विभाग, गृह मंत्रालय को स्पष्टीकरण जारी किया गया।

1.5 लेखा संगठन

1.5.1 सामान्य लेखा ढांचा

सचिव मुख्य लेखा प्राधिकारी हैं। यह दायित्व मंत्रालय के वित्त सलाहकार के परामर्श पर मुख्य लेखा नियंत्रक (सीसीए) के माध्यम से और उनकी सहायता से निर्वहन किया जाता है। सचिव विनियोजन लेखा को प्रमाणित करता है तथा लोक लेखा समिति एवं लेखा विषयक स्थायी संसदीय समिति में मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करता है।

1.5.2 मंत्रालय में लेखा–ढांचा

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में दो विभाग अर्थात स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं आयुष मंत्रालय के सभी विभागों के लिए एक साझा लेखा विंग हैं। लेखा विंग मुख्य लेखा नियंत्रक के पर्यवेक्षण में कार्य कर रहा है, इसकी सहायता लेखा नियंत्रक (सीए), उप लेखा नियंत्रक (डीसीए), सहायक लेखा नियंत्रक (एसीए) तथा 11 भुगतान एवं लेखा कार्यालय (सात पीएओ दिल्ली में और चेन्नई, मुम्बई, कोलकाता और पुदुच्चेरी में एक–एक) करते हैं। मुख्य लेखा नियंत्रक को मंत्रालय के बजट प्रभाग का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया है।

1.5.3 आंतरिक लेखा परीक्षा विंग

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का आंतरिक लेखा परीक्षा विंग स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय एवं आयुष मंत्रालय के सभी विभागों की आंतरिक लेखा परीक्षा का कार्य कर रहा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 1042 से अधिक आयुष विभाग की 58 यूनिटें और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग की 26 लेखा परीक्षा यूनिटें हैं।

आंतरिक लेखा परीक्षा की भूमिका बढ़ रही है और यह सरकारी नियमों और विनियमों के संदर्भ में संव्यवहार की जांच करने तक सीमित अनुपालन लेखा परीक्षा से किसी भी निकाय के जोखिम कारकों तथा निष्पादन की जांच करने की जटिल लेखा परीक्षा तकनीकों की ओर रूख कर रही है। वर्ष 2017–18 में आंतरिक लेखा परीक्षा विंग ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्यान्वित/कार्यरत निम्नलिखित स्कीमों और संस्थाओं की लेखा परीक्षा की।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	–	58
स्वास्थ्य अनुसंधान	–	03
आयुष	–	03
कुल	–	64

वर्ष 2017–18 में 646 लेखा परीक्षा पैरा उठाए गए हैं जिनमें 1262.05 करोड़ रूपए के पर्यवेक्षण शामिल हैं। वर्ष 2017–18 के दौरान कुल 1136 पैराओं का निपटान किया गया है। आंतरिक लेखा परीक्षा विंग ने बकाया पैराओं के निपटान के लिए लेखा परीक्षा अदालतें संचालित की थी।

1.5.4 भविष्य पेंशन पोर्टल

पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभों की स्थिति से संबंधित व्यापक सूचना प्राप्त करने के लिए पेंशनभोगी व्यक्तियों के लिए एकल बिंदु वेब समाधान प्रदान करने के लिए विकसित की गई यह एक वेब समर्थित पेंशनभोगी सेवा है। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग पेंशनभोगियों के लिए एक सक्रिय एवं गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के ध्येय के साथ कार्य कर रहा है। इसका लक्ष्य सेवानिवृत्त हो रहे व्यक्तियों को सेवानिवृत्ति के दिन ही सभी सेवानिवृत्ति देयताओं का भुगतान करना और पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) प्रदान करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, विभाग ने 'भविष्यं' नामक एक ऑनलाइन पेंशन स्वीकृति एवं भुगतान ट्रैकिंग प्रणाली प्रारंभ की है। प्रणाली में, पेंशनभोगी व्यक्ति एवं प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा पेंशन स्वीकृति तथा भुगतान प्रक्रिया की ऑनलाइन निगरानी करने की व्ययवस्था है। यह प्रणाली पेंशनभोगियों के व्यक्तिगत तथा सेवा विवरण एकत्र करती है। पेंशन कार्यवाही के फार्म ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। यह सेवा सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को एसएमएस/ई–मेल के माध्यम से पेंशन स्वीकृति की प्रगति के बारे में सूचना उपलब्ध कराती है। यह प्रणाली संपूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करके पेंशन के भुगतान में विलंब का निराकरण करती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

के सभी भुगतान और लेखा कार्यालय एवं आहरण एवं संवितरण कार्यालय भविष्य पोर्टल पर पंजीकृत हैं।

1.5.5 सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)

माननीय प्रधानमंत्री ने केंद्रीय योजना स्कीमों के कार्यान्वयन में उन्नत वित्तीय प्रबंधन एवं निधियों के अंतिम उपयोग के बारे में सूचना देने के साथ–साथ अंतिम लाभार्थी तक निधियों के उपयोग की मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) में भुगतानों के संसाधन, निधियों की निगरानी, मॉनिटरिंग, लेखाकरण, समाधान एवं रिपोर्टिंग का पूरा समाधान है। केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों के तहत सभी लेन–देनों/भुगतानों को शामिल करने के लिए पीएफएमएस के सर्वत्र प्रयोग का निर्णय लिया गया है। मुख्य लेखा नियंत्रक का कार्यालय इन परिणामों पर बारीकी से नज़र रखता है तथा उन्हें सक्रियता से कार्यान्वित करता है।

इस मंत्रालय के मुख्य लेखा नियंत्रक के तहत सभी भुगतान एवं लेखा कार्यालय सभी स्कीमों के लिए पहले से ही पीएफएमएस पोर्टल का उपयोग कर रहे हैं। सभी प्रथम स्तर की एजेंसियों को पीएफएमएस के माध्यम से ई–भुगतान जारी किए जा रहे हैं।

1.5.6. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के बारे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) स्कीम को पहले से ही कार्यान्वित कर रहा है।

1.5.7 गैर–कर प्राप्ति पोर्टल मॉड्यूल

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सभी वेतन एवं लेखा कार्यालय पीएफएमएस के मॉड्यूल गैर–कर प्राप्ति पोर्टल मॉड्यूल (एनटीआरपी) से जुड़े हुए हैं।

1.5.8 पेंशन मॉड्यूल का क्रियान्वयन

पेंशन संबंधी प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाने के लिए, महा लेखा नियंत्रक ने पीएफएमएस में पेंशन का एक मॉड्यूल बनाया है और इसे भविष्य पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। भविष्य पोर्टल से लिया गया डाटा पीएफएमएस के माध्यम से ऑन लाइन वेतन और लेखा कार्यालयों के पास उपलब्ध है और पेंशन उद्देश्य के लिए डाटा को डाउनलोड या अपलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन सभी वेतन और लेखा कार्यालय पेंशन मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं और पेंशन संबंधी सभी भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से किए जा रहे हैं।

1.5.9 सीडीडीओ मॉड्यूल

महालेखा नियंत्रक ने सरल और पारदर्शी कार्यान्वयन के लिए चेक आहरण और संवितरण कार्यालय (सीडीडीओ) मॉड्यूल प्रारंभ किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन सभी 49 सीडीडीओ पीएफएमएस के सीडीडीओ मॉड्यूल के साथ जुड़े हुए हैं।

1.5.10 कर्मचारी सूचना प्रणाली (ईआईएस)

ईआईएस एक केंद्रीकृत मॉड्यूल है जिसे कार्मिक सूचना और पेरोल (भुगतान रजिस्टर) के लिए पीएफएमएस की वेब आधारित प्रणाली/पैकेज के साथ समेकित किया गया है। यह भारत सरकार के विभिन्न विभागों/मंत्रालयों के लिए कार्यरत आहरण और संवितरण कार्यालयों के लिए व्यापक ढांचागत सुविधाएं प्रदान करता है।

कर्मचारी सूचना प्रणाली को उन सभी आहरण और संवितरण कार्यालयों में कार्यान्वित किया गया है जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में वेतन बिल तैयार करते हैं।

1.5.11 सामान्य भविष्य निधि मॉड्यूल

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन सभी वेतन और लेखा कार्यालय और विलयित आहरण और संवितरण अधिकारी पीएफएमएस के जीपीएफ मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं। जीपीएफ से संबंधित सभी डाटा को पीएफएमएस पर जीपीएफ मॉड्यूल में अंतरित कर दिया गया है।

1.5.12 डैशबोर्ड

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में एक ऑनलाइन बजट डैशबोर्ड विकसित किया गया है जिस पर दैनिक लंबित बिलों की रिपोर्टें और साप्ताहिक रूप से लंबित बिलों की रिपोर्टें नियमित आधार पर अपलोड की जाती हैं।

1.5.13 पेंशन का संशोधन (7वां केंद्रीय वेतन आयोग)

7वें सीपीसी के कार्यान्वयन के बाद, पेंशन संशोधन के मामलों की कुल संख्या 18,396 थी जिसमें से वेतन और लेखा कार्यालयों ने 17,040 मामलों में पहले ही पेंशन

संशोधित कर दी है। संशोधित पेंशन के मामलों की कुल प्रतिशतता 92.63 प्रतिशत है।

1.5.14 वित्त प्रभाग

यह प्रभाग निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी है:

क. वित्तीय सलाह देना और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ–साथ इसके स्वायत्त और अधीनस्थ कार्यालयों से संबंधित व्यय से जुड़े प्रस्तावों पर सहमति देना।

ख. व्यय के नियंत्रण और प्रबंधन को देखना और व्यय विभाग के अनुदेशों के अनुसार व्यय का यौक्तिकीकरण तथा मितव्ययता के उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करना जिसमें व्यय की नियमित मॉनिटरिंग भी शामिल है।

ग. यह प्रभाग स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की विस्तृत अनुदान मांग अर्थात मांग सं. 42 को भी प्रशासित करता है। इसमें बजट अनुमानों/संशोधित अनुमानों को अंतिम रूप देना/अब तक की आवश्यकताओं का अनुमान/बचत का अभ्यर्पण, पुनर्विनियोजन और शीर्षवार विनियोजन खातों की विधीक्षा शामिल है।

घ. वित्त मंत्रालय की 'विस्तृत अनुदान मांग (डीडीजी)' का संयोजन, संकलन, मुद्रण और इसे संसद में प्रस्तुत करना।

ङ. वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति द्वारा डीडीजी की जांच से संबंधित सभी मामलों का समन्वय

च. लोक लेखा समिति (पीएसी)/नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लंबित लेखा परीक्षा पैराओं की मॉनीटरिंग

छ. प्रभाग द्वारा प्रशासित अनुदानों की बजटीय स्थिति नीचे दी गई हैं:–

मांग सं. 42

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की मांग (निवल आवंटन)

(करोड़ रुपए में)

	बजट अनुमान 2017–18	संशोधित अनुमान 2017–18	बजट अनुमान 2018–19
राजस्व	43843.70	48300.02	50079.60
पूँजी	3508.81	3250.83	2720.40
कुल	**47352.51**	**51550.85**	**52800.00**

प्रभावी व्यय नियंत्रण के लिए अपनाई गई सर्वोत्तम पद्धतियां निम्नानुसार हैं:

क) दैनिक आधार पर प्रमुख शीर्ष/स्कीम वार व्यौरों के साथ डाटाबेस पर व्यय की प्रगति पर निगरानी

ख) संबंधित कार्यक्रम प्रभाग द्वारा एमईक्यू/क्यूईपी की मासिक आधार पर समीक्षा की जाती है।

ग) नियमित और कड़ी निगरानी के परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान सी एंड एजी लेखा परीक्षा पैराओं से संबंधित एटीएन के मामलों को पर्याप्त संख्या में निपटाया गया।

1.6 सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के तहत, मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) में 54 केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) तथा 29 अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के निदेशों के आलोक में श्री आशीष वी.गवई, उप सचिव को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए सभी सीपीआईओ की ओर से आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत सूचना हेतु अनुरोध प्राप्त करने के लिए नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा तैयार किए गए आरटीआई ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन और प्रथम अपील दर्ज करने की सुविधा 3 जून, 2013 से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में प्रारंभ की गई है और आम जनता इस सुविधा के माध्यम से अपने आरटीआई आवेदन बड़ी संख्या में ऑन लाइन भेज रही है।

दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2018 तक की अवधि के दौरान, 11829 आरटीआई आवेदन आरएंडआई के माध्यम से तथा आरटीआई वेब–पोर्टल में ऑनलाइन प्राप्त हुए तथा 1132 आरटीआई अपीलें आरएंडआई के माध्यम से तथा आरटीआई वेब–पोर्टल में ऑनलाइन प्राप्त हुई हैं।

1.7 सतर्कता

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का सतर्कता अनुभाग भारत सरकार के संयुक्त सचिव के समग्र नियंत्रण में कार्य करता है जो अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के रूप में भी कार्य करता है। मुख्य सतर्कता अधिकारी की

सहायता एक निदेशक (सतर्कता), एक अवर सचिव और सतर्कता अनुभाग के स्टाफ द्वारा की जाती है।

मंत्रालय का सतर्कता प्रभाग स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आने वाले उन सभी स्वायत्त संस्थानों के अधिकारियों/कर्मचारियों के सतर्कता तथा अनुशासनिक मामलों को निपटाने की कार्रवाई करता है, जहां स्वतंत्र रूप से कोई मुख्य सतर्कता अधिकारी नहीं है। सतर्कता स्कंध केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा (सीएचएस) के उन चिकित्सकों तथा गैर–चिकित्सीय/तकनीकी कार्मिकों के संबंध में सर्तकता जांच, अनुशासनिक कार्यवाहियों की भी मॉनीटरिंग करता है, जिनकी तैनाती पी एंड टी औषधालयों तथा विभिन्न चिकित्सा सामग्री भंडार संगठनों, पोत पत्तन स्वास्थ्य संगठनों, श्रम कल्याण संगठनों आदि जैसे अन्य संस्थाओं में है। केंद्रीय सतर्कता अधिकारी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (डीएचआर) के सतर्कता मामले भी देखे जाते हैं।

वर्ष 2018–19 में सतर्कता प्रभाग द्वारा निम्न कार्रवाई की गई/मामले निपटाए गए हैं:–

क्र.सं.	मद	संख्या
1.	के.सि.से. (सीसीए) नियमावली के नियम 14 के अंतर्गत आरोप–पत्र जारी किया गया	1
2.	पूछताछ रिपोर्ट की जांच	6
4.	आईओ/पीओ की नियुक्ति के मामले	5
5.	मंत्रालय के अन्य प्रभागों को दी गई सलाह	13
6.	निलंबन समीक्षा/विस्तार के मामले	7
7.	उचित कार्रवाई के लिए सीवीसी से प्राप्त शिकायतों की संख्या और जो जांच / संसाधित की जा रही हैं	33
8.	सीवीसी शिकायतों की संख्या (सीवीसी पोर्टल से डाउनलोड) जिनका निपटान किया गया	333
9.	उचित कार्रवाई के लिए सीबीआई से प्राप्त हुई विविध शिकायतें प्राप्त हुईं।	44
	शिकायतों का निस्तारण किया	25
10.	अन्य स्रोतों से शिकायतें मिलीं	116
	शिकायतों का निपटारा (पुराने मामलों सहित)	121
11.	सलाह के लिए सीवीसी को मामले भेजे गए	6
12.	मामलों को सलाह के लिए यूपीएससी को भेजा गया	4
13.	सलाह के लिए डीओपीटी को संदर्भित मामले	3
14.	सलाह के लिए कानून मंत्रालय को भेजे गए मामले	2
15.	आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए और उनका निस्तारण किया गया	30
16.	आरटीआई अपीलें प्राप्त हुई और निस्तारण किया गया	4
17.	अवधि के दौरान संसाधित किए गए अदालती मामलों की संख्या	5
18.	अवधि के दौरान दी गई सतर्कता मंजूरी	4325
19.	मुख्य सतर्कता अधिकारी / सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति के मामले	5
20.	जुर्माना आदेश तैयार किए गए और जारी किए गए	2
21.	अनुशासनात्मक मामले जिन्हें अंतिम रूप दिया गया	1
22.	आरोपित अधिकारी से पक्षपातपूर्ण याचिकाएं प्राप्त हुईं	6
23.	अभियोजन स्वीकृति का मामला डीओपीटी को भेजा गया।	1

डीओपीटी द्वारा विकसित प्रोबिटी सॉफ्टवेयर की जानकारी को संवर्गो का कार्य देख रहे मंत्रालय के सभी संबंधित प्रभागों के साथ समन्वय करके अद्यतन किया गया।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों के अनुसार वर्ष 2018 के लिए थीम "भ्रष्टाचार मिटाओ–नया भारत बनाओ" के साथ 29 अक्टूबर से 3 नवंबर 2018 के बीच सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2018 का आयोजन किया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह श्रीमती अनुप्रिया पटेल, माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री द्वारा मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को दिलाई गई सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा के साथ शुरू हुआ। मंत्रालय ने मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया। श्रीमती प्रीति सूदन, सचिव (एचएफडब्ल्यू) द्वारा प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए।

इस मंत्रालय के अधीन संगठनों को सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2018 के दौरान सहूलियत बिंदुओं पर बैनर प्रदर्शित करके, प्रतिज्ञा का संचालन, जनता के साथ उनकी शिकायतों के निवारण के लिए बातचीत, जेनेरिक दवाओं के उपयोग, औचक निरीक्षण, सेमिनार, कार्यशालाओं का आयोजन करके वर्ष 2018 के विषय पर छात्रों, संकायों, कर्मचारियों/अधिकारियों के बच्चों के बीच वाद–विवाद, पोस्टर प्रतियोगिताओं, निबंध लेखन, प्रश्नोत्तरी, नीति परक/नैतिक मूल्यों को बढ़ाने वाली चित्रकला प्रतियोगिताओं का आयोजन और जनता के बीच सतर्कता जागरूकता का प्रसार किया गया। सुदूर क्षेत्र में भी पहुंचने के लिए आउटरीच गतिविधियों का आयोजन करने के लिए संगठनों को सूचित किया गया। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से छात्रों और बच्चों के बीच सतर्कता जागरूकता पैदा करना है। संगठनों से भी अनुरोध किया गया कि वे अपनी–अपनी वेबसाइट पर गतिविधियों को प्रदर्शित करें।

1.8 लोक शिकायत प्रकोष्ठ

लोक शिकायत निवारण तंत्र प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के माध्यम से भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी विभिन्न दिशानिर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ–साथ स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों तथा सीजीएचएस, केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों, मंत्रालय के अधीन स्वायत्तशासी निकायों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्य कर रहा है।

लोक शिकायत निदेशालय (डीपीजी) और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के सहयोग से एनआईसी द्वारा निकनेट पर ऑनलाइन वेब आधारित केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स) विकसित की गई है। इस वेब आधारित पोर्टल पर नागरिक, संबंधित मंत्रालय/विभाग को सीधे अपनी शिकायत पंजीकृत कर सकता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्यांण विभाग के लिए आर्थिक सलाहकार नोडल अधिकारी हैं और सभी निदेशक/उप–सचिव स्तर के अधिकारियों को विभाग के भीतर उनके संबंधित प्रभागों का नोडल अधिकारी बनाया गया है। वर्ष 2018–19 के दौरान सीपीजीआरएएमएस पोर्टल (31.03.2019 की स्थिति) पर प्राप्त लोक शिकायतों के निवारण की स्थिति तालिका में दी गई है:

वर्ष	01–04–2018 को अथशेष	01–04–2018 – 31–03–2019 तक प्राप्त शिकायत आवेदन	01–04–2018 – 31–03–2019 के दौरान निपटाए गए शिकायत आवेदन	31–03–2019 को शेष
2018-19	1985	12964	12983	1966

लोक शिकायतों का गुणात्मक, मात्रात्मक और शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए नियमित मॉनिटरिंग की जाती है।

1.9 सूचना और सुविधा केंद्र

मंत्रालय में लोक शिकायत निपटान तंत्र सुदृढ़ बनाने के लिए, निर्माण भवन के गेट सं. 5 के पास सूचना और

सुविधा केंद्र कार्य कर रहा है जो अन्य बातों के साथ–साथ जनसाधारण को निम्नलिखित सूचना उपलब्ध करवाता है:

1. राष्ट्रीय आरोग्य निधि और स्वास्थ्य मंत्री के विवेकाधीन अनुदान से वित्तीय सहायता लेने संबंधी सूचना और दिशा–निर्देश।
2. भारतीय डॉक्टरों को विदेश में उच्चतर चिकित्सा अध्ययन करने के लिए 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' जारी करने से संबंधित अनुदेश और दिशा–निर्देश।
3. मंत्रालय से संबंधित जानकारी और सीजीएचएस से संबंधित सूचना और दिशा–निर्देश।
4. लोक शिकायतों पर आवेदनों/सुझावों की प्राप्ति।

सूचना और सुविधा केंद्र में प्राप्त मंत्रालय से संबंधित सामान्य पूछताछ का निपटान सभी संबंधितों की संतुष्टि के साथ किया गया।

1.10 ग्रामीण स्वास्थ्य अवसंरचना

1. मोबाइल मेडिकल यूनिट पर संक्षिप्त नोट

एनएचएम जिसमें अब एनआरएचएम और एनयूएचएम दोनों शामिल हैं, के तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) को सहायता, विशेष रूप से दूरस्थ, दुर्गम, अल्पसेवित और सेवा विहीन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति है।

मार्च, 2019 तक, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 2160 मोबाइल चिकित्सा इकाइयाँ हैं जिनमें एमएमयू, मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयाँ, मोबाइल चिकित्सा/स्वास्थ्य वैन, नाव क्लीनिक, नेत्र वैन/मोबाइल नेत्र चिकित्सा इकाईयां, एनआरएचएम और एनयूएचएम के अंतर्गत दंत चिकित्सा वैन शामिल हैं। 2018–19 में प्रचालन लागत और एचआर सहित 36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए 351.02 करोड़ रुपये का अनुमोदन किया गया है।

2. नि: शुल्क नैदानिक सेवा पहल

नि: शुल्क डायग्नॉस्टिक्स सेवा पहल पर प्रचालन दिशानिर्देश विशेषज्ञों और राज्यों के परामर्श से विकसित किए गए और 2 जुलाई, 2015 को राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के बीच प्रसारित किए गए। दिशानिर्देशों में पीपीपी की एक श्रृंखला जैसे टेली–रेडियोलॉजी, प्रयोगशाला डायग्नोस्टिक्स और जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन निदान सेवाओं के लिए हब और स्पोक मॉडल के लिए मॉडल आरएफपी दस्तावेज़ भी शामिल हैं। वित्त वर्ष 2018–19 में, 33 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए 1218.31 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। नि:शुल्क निदान प्रयोगशाला सेवाएं 32 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में (22 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में इन–हाउस और 10 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पीपीपी मोड में) लागू की गई हैं। 24 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में नि:शुल्क डायग्नोस्टिक्स सीटी स्कैन सेवाओं को लागू किया गया है (11 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में इन–हाउस और 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पीपीपी मोड में) और 10 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मुफ्त टेली रेडियोलॉजी सेवाओं को पीपीपी मोड में लागू किया गया है।

3. बायोमेडिकल उपकरण रखरखाव और प्रबंधन कार्यक्रम

सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में गैर–कार्यात्मक उपकरणों के मुद्दे को हल करने के लिए, बायोमेडिकल उपकरण प्रबंधन और रखरखाव कार्यक्रम (बीएमएमपी) पर व्यापक दिशानिर्देश तैयार किए गए और राज्यों के बीच इनका प्रसार किया गया। वित्त वर्ष 2018–19 में 34 राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों के लिए 298.57 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। बीएमएमपी 28 राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों (पीपीपी मोड में 22 राज्य / केंद्र शासित प्रदेशों और इन–हाउस मोड में 6 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों) में लागू किया गया है। बीएमएमपी के कार्यान्वयन ने 95% अपटाइम के साथ उपकरण उपलब्ध कराकर स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में निदान सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद की है, जिससे स्वास्थ्य देखभाल की लागत कम हो गई है और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

4. मेरा अस्पताल पहल

'मेरा अस्पताल' एक रोगी केंद्रित पहल है जो सरल सहज और बहुभाषी आईसीटी आधारित प्रणाली है जो सरकारी और निजी पैनलबद्ध स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों से उपयोगकर्ता के अनुकूल विविध माध्यमों जैसे शॉर्ट मैसेज सेवा (एसएमएस), आउटबाउंड डायलिंग (ओबीडी) मोबाइल एप्लिकेशन और वेब पोर्टल से प्राप्त मरीजों की प्रतिक्रिया को बहुत कम समय में पकड़ लेती है। यह प्रणाली प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों का उपयोग करके मरीजों की प्रतिक्रिया प्राप्त

करते हुए रोगी केंद्रित स्वास्थ्य देखभाल में सुधार लाने के लक्ष्य के साथ स्थापित की गई थी।

मेरा अस्पताल पहल वर्तमान में 24 राज्यों में कार्य कर रही है। 5 संघ राज्य क्षेत्रों में इसे सीजीएच और डीएच के साथ एकीकृत करने के लिए सितंबर, 2016 में शुरू किया गया था। 2018–19 में, 1698 सुविधा केंद्रों को मेरा अस्पताल पहल से एकीकृत किया गया।

सुविधा केंद्र	नया निर्माण		नवाचार/उन्नयन	
	अनुमोदित	पूरा	अनुमोदित	पूरा
एससी	27423	20844	17182	14972
पीएचसी	2635	2011	12126	11234
सीएचसी	596	461	6485	5619
एसडीएच	230	135	1113	942
डीएच	190	124	2757	2181
अन्य'	1517	2011	877	851
कुल	**32591**	**24550**	**40540**	**35799**

*ये सुविधा केंद्र उप केंद्रों (एससी) से ऊपर और ब्लॉक स्तर से नीचे के हैं।

5. अवसंरचना की स्थिति (दिसंबर, 2018 तक)

1.11 केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसायटी (सीएमएसएस):

केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसायटी (सीएमएसएस) को औषधि प्रापण और वितरण हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की केंद्रीय प्रापण एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया है। सीएमएसएस औषधि प्रापण और वितरण का कार्य बड़े पारदर्शी और किफायती तरीके से करता है। इसने एक सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित आपूर्ति श्रंखला की अवसंरचना स्थापित की है और इसके पास 20 स्थानों पर भंडागार हैं।

वर्ष	कुल प्रापण	शामिल किए गए कार्यक्रम
2014-15	शून्य	सीएमएसएस का प्रचालन शुरू नहीं हुआ
2015-16	52.85 करोड़ रुपए	एफडब्ल्यूपी, एनवीबीडीसीपी
2016-17	240.75 करोड़ रुपए	एफडब्ल्यूपी, एनवीबीडीसीपी, आरएनटीसीपी
2017-18	1392 करोड़ रुपए	एफडब्ल्यूपी, एनवीबीडीसीपी, आरएनटीसीपी और एनएसीपी
2018-19	2027.02 करोड़ रुपए	एफडब्ल्यूपी, एनवीबीडीसीपी, आरएनटीसीपी और एनएसीपी और एवीएचसीपी

2016 में अपने प्रचालन प्रारंभ किए जाने के बाद से सीएमएसएस ने केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए निम्नलिखित प्रापण पूरे कर लिए हैं:

वर्ष 2017–18 के दौरान लगभग 1392 करोड़ रुपए के प्रापण को अंतिम रूप दिया जबकि वर्ष 2016–17 में 240.75 करोड़ रुपए का प्रापण किया गया था वर्ष 2018–19 के दौरान, 2027.02 करोड़ रुपए का प्रापण किया गया।

वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान, निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियां/उपलब्धियां प्राप्त की गईं :–

1. कंडोम, गर्भावस्था जांच किट (पीटीके), खाने की गर्भनिरोधक गोली (ओसीपी), आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली (ईसीपी), ट्यूबल रिंग और इंट्रायूटराइन गर्भनिरोधक उपकरण (आईयूसीडी) उपलब्ध करने के लिए कुल 21,31,40,372.10 रू. मूल्य के खरीद आदेश दिए गए हैं।
2. एनबीबीडीसीपी के लिए कुल 160,29,01,955.71 रू. मूल्य के क्रय आदेश दिए गए हैं।
3. आरएनटीसीपी हेतु कुल 382,40,62,716.10 रुपए के क्रय आदेश दिए गए थे।
4. नाको हेतु कुल 75,67,099.49 रुपए के क्रय आदेश दिए गए थे।
5. अन्य औषधियों के लिए कुल 1700 करोड़ रुपए की निविदा चल रही है।
6. सभी 20 वेयरहाउस पूर्णतः प्रचालित हैं और परिवार कल्याण कार्यक्रम, आरएनटीसीपी, एनवीबीडीसीपी और नाको से संबंधित औषधि और मेडिसिन का भंडारण किया जा रहा है तथा कार्यक्रम के संबंधित नोडल अधिकारियों को विस्तारित की जा रही है।

ई–औषधि सॉफ्टवेयर पूरी तरह से प्रचालानत्मक है और ईआरपी के माध्यम से ही सभी प्राप्ति, इंटर वेयरहाउस स्थानांतरण व जारी किए जा रहे हैं।

मेडिकल स्टोर संगठन (एमएसओ)

मेडिकल स्टोर संगठन (एमएसओ) को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीनस्थ स्कंध के रूप में 1942 में स्थापित किया गया था, एमएसओ के 7 सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो (जीएमएसडी)

हैं जो नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, करनाल और गुवाहाटी में स्थित हैं। ये 7 जीएमएसडी आवश्यक दवाएं और टीके भंडारित करने के साथ–साथ देश में स्वास्थ्य परिचर्या इकाइयों को अंतिम छोर तक लोजिस्टिक सहायता प्रदान करते हैं और इन्हें स्टॉकों की आपूर्ति करते हैं। जीएमएसडी सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रमों को भंडार और लोजिस्टिक संबंधी सहायता प्रदान करते हैं। एमएसओ देश में विभिन्न स्वास्थ्य परिचर्या संस्थानों द्वारा प्रयोग की जाने वाली औषधियों के लिए दर अनुबंधों (आरसी) को अंतिम रूप देते हैं। देश में अर्द्ध सैनिक बल और सीजीएचएस इकाइयां भी औषधियों की निर्बाध आपूर्ति के लिए आरसी और जीएमएसडी का प्रयोग करते हैं। लगभग 1500 सरकारी एजेंसियां जीएमएसडी द्वारा की गई आपूर्तियों का उपयोग करती हैं।

एमएसओ वेबसाइट को तीन स्तरीय सुरक्षा लेखा परीक्षा और एसएसएल सुरक्षा प्रमाणन प्रदान करते हुए इसका नवीकरण किया गया है। एमएसओ के डाटाबेस और वेब अनुप्रयोग को एनआईसी क्लाउड में शिफ्ट कर दिया गया है। औषधि और वैक्सीन आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली (डीवीडीएमएस) को सीडैक द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। नई वेबसाइट पर इन्डेन्टरों का पंजीकरण शुरू कर दिया गया है और प्रारंभिक वेब पोर्टल url:http:@uatdvdmsodelhi.dcservices.in. पर देखा जा सकता है। एमएसओ के सभी प्रभागों पर लीज़ लाइन कनेक्शन प्रदान किए गए हैं और ई–कार्यालय को क्रियान्वित कर दिया गया है।

एमएसओ ने केंद्रीय प्रापण पोर्टल (सीपीपी) पर प्रत्येक जीएमएसडी में वरिष्ठ अधिकारियों की पहचान और भूमिकाएं निर्धारित की हैं। एमएसओ ने निविदा की प्रक्रिया में बेहतर जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए सीपीपी के माध्यम से पहली बार लगभग 1500 जेनरिक दवाओं के प्रापण के लिए ई–निविदा प्रारंभ की है। 525 जेनरिक दवाओं के लिए दर अनुबंध (रेट कॉन्ट्रैक्ट) जीएमएसडी, दिल्ली द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है जो अपने अग्रिम चरण में है। 503 जेनरिक दवाओं के लिए दर अनुबंध जीएमएसडी, हैदराबाद द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है और यह भी अपने अंतिम चरण में है। 23 +8 पैटेंटयुक्त दवाओं के लिए दर अनुबंध को अंतिम रूप दे दिया गया है और विभिन्न जीएमएसडी के माध्यम से इन्डेन्टरों की ओर से आदेश रखे गए हैं और सभी जीएमएसडी में नियमित आपूर्तियां प्राप्त की जा रही हैं। हज यात्रियों के लिए 2018 के सत्र के लिए क्यूएमएम वैक्सीन और एसआई वैक्सीन का प्रापण और समय पर इनका वितरण 7 जीएमएसडी द्वारा किया गया। वर्ष 2019 के लिए निविदा को एनआईसी ई–पोर्टल के माध्यम से जारी किया गया है। वर्ष 2018–19 के दौरान सीआरपीएफ बटालियनों के लिए मलेरिया–रोधी दवाओं और किटों के प्रापण को अंतिम रूप दे दिया गया है। एच1 एन1 संबंधी दवाओं के लिए 1 वर्ष की अवधि हेतु दर अनुबंध को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। एमएसओ/जीमएसडी ने वर्ष 2018–19 के दौरान 143 करोड़ रुपए मूल्य की विभिन्न जेनरिक और पैटेंटयुक्त दवाएं खरीदी। एमएसओ/जीएमएसडी ने 1310 करोड़ रुपए मूल्य के प्रोग्राम स्टोरों का भी संचालन किया।

1.12 अधिकार प्राप्त प्रापण स्कंध (ईपीडब्ल्यू)

ईपीडब्ल्यू प्रभाग को राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी), संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी), और प्रतिरक्षण कार्यक्रम जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के तहत, घरेलू बजटीय सहायता के अंतर्गत परियोजनाओं के अलावा बाह्य रूप से सहायता प्राप्त घटकों (विश्व बैंक/जीएफ एटीएम परियोजनाओं) के अंतर्गत औषधियों और वस्तुओं की प्राप्ति से संबंधित कार्य सौंपा गया है। प्रतिरक्षण कार्यक्रम की आवश्यकताओं को छोड़कर, अन्य प्रापण अब केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसायटी द्वारा किया जा रहा है।

ईपीडब्ल्यू सार्वजनिक प्रापण से संबंधित सरकारी नीतियों को लागू करने के लिए भी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के नोडल प्रभाग के रूप में भी कार्य करता है। जीएफआर के कार्यान्वयन से संबंधित सरकारी नीतियों का संयोजन करता है। सूक्ष्म और लघु उपक्रम (एमएसई) आदेश–2012, सरकारी ई–मार्केटप्लेस (जीईएम), डीआईपीपी, मेक इन इंडिया आदेश आदि हेतु सार्वजनिक प्रापण नीति को कार्यान्वित किया गया है।

1.13 यौन उत्पीड़न पर समिति

जहां तक, कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर शिकायत समिति, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का संबंध है, वर्ष 2018–19 के दौरान समिति को दो शिकायतें भेजी गई थीं। समिति ने नियत प्रक्रिया के बाद, दोनों मामलों में, रिपोर्टों को अंतिम रूप दिया और आगे की कार्रवाई के लिए स्वास्थ्य

और परिवार कल्याण मंत्रालय के संबंधित प्रशासनिक प्रभागों को भेज दिया।

समिति ने लैंगिक जागरुकता पर नियमित कार्यशालाओं का आयोजन करके कार्य स्थलों पर यौन उत्पीड़न के बारे में मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को जागरुक बनाने की सिफारिश की थी। कार्य स्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित अधिनियमों को उपयुक्त स्थानों पर पोस्टर के माध्यम से दर्शाया जा सकता है। "शी बॉक्स" का अस्तित्व और कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए शिकायत समिति के गठन के बारे में भी सभी संबंधितों को मंत्रालय की वेबसाइट के माध्यम से अवगत किया जा सकता है।

कुल मिलाकर, वर्ष 2018–19 के दौरान समिति की 12 बार बैठक हुई।

1.14 दिव्यांग जन

दिव्यांग जनों के प्रतिनिधित्व और उनके कल्याण संबंधी मुद्दों का समाधान इस मंत्रालय के कल्याण एवं पीजी अनुभाग द्वारा किया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग तथा इसके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में दिव्यांग व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व की स्थिति 01.01.2018 के अनुसार निम्नलिखित है:

समूह	कुल कर्मचारी	वीएच	एचएच	ओएच
क	4604	0	1	69
ख	4993	1	2	11
ग (पूर्व सफाई कर्मचारी)	8185	12	20	116
घ (सफाई कर्मचारी)	938	0	0	3
कुल	**18720**	**13**	**23**	**199**
प्रतिशतता		0.0694	0.1229	1.063

*अन्य दिव्यांगजनों से संबंधित जानकारी को शामिल नहीं किया गया है।